तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते दिनांक 1-11-21 को पेश हो।
1-11-21 प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021	पत्रावली को राजस्व शिविर सिंगनौर में पेश हो। पत्रावली पर रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा से प्राप्त हुई शामिल मिसल रही आवेदक द्वारा पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि आवेदक की कृषि भूमि ख० नं० 275 रकबा 0.18 हे० ख० नं० 296 रकबा 1.49 हे० कुल रकबा 1.67 हे० स्थित ग्राम खुडौत तहसील चिड़ावा की पत्थरगढ़ी का आदेश फरमाया जावकर अप्रार्थी संo। तहसीलदार को दिया जावे कि आवेदक की कृषि भूमि की नियमानुसार व विधिवत रूप से पत्थरगढ़ी करें। प्रकरण में तहसीलदार चिड़ावा ने रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया है कि ग्राम खुडौत के ख० नं० 275 रकबा 0.18 हे०, ख० नं० 296 रकबा 1.49 हे० कुल रकबा 1.67 हे० प्र० नं० 73/2018 उनवान रणधीर बनाम सरकार में सीमाज्ञान फर्द दिनांक 29-6-18 की पालना हेतु पत्थरगढ़ी हेतु मौके पर राजस्व रिकार्ड नक्शा व मौके पर भिन्नता पाई गई। राजस्व रिकार्ड नक्शे में पहले रास्ता ख० नं० 296 व 275 के मध्य से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। ख० नं० 296, 275, 295 के खातेदारों ने आपसी सहमति से उक्त रास्ते को ख० नं० 296 व 275 के उत्तरी दिशा के सहारे कर दिया जिसके कारण ख० नं० 275 व 296 के खातेदारों का रकबा प्रभावित हुआ है। मौके पर ख० नं० 275 व 296 के उत्तरी दिशा के रास्ते पर सड़क बनी हुई है। उक्त प्रभावित रकबे के संबंध में जब सड़क बनी थी तब आपसी सहमति से प्रभावित [illegible] लिखित सहमति बनी थी। प्रकरण पत्थर[illegible] होकर प्रभावित रकबे का [illegible] है [illegible] तहसीलदार चिड़ावा की रिपोर्ट के [illegible] पत्थरगढ़ी का न होकर प्रभावित रकबे का [illegible] करने के कारण उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.06.27 15:47:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ख से	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
	प्रार्थना पत्र आवेदक अस्वीकार किया जाकर खारीज करने का है। आवेदक चाहे तो अपने प्रभावित रकबे को पुरा करने बाबत विधिवत वाद यह न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली आवेदक की पत्रावली खारीज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखील दफ्तर हो। sd/- **उप खण्ड अधिकारी** **चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.06.27 15:47:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner